



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240614
CG-DL-E-28112022-240614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944

No. 293]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

फा. सं. 5-31/2022- DD VII-(राष्ट्रीय पुरस्कार).—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5-2/2020-राष्ट्रीय पुरस्कार दिनांक 14 जुलाई, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण खंड 1 भाग I में प्रकाशित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु दिशानिर्देश, 2021 के अंग्रेजी संस्करण में दिनांक 19 जुलाई, 2022 के पैरा 2.1 (II) के क्रम संख्या 9 के कॉलम 4 में "रुपये के पुरस्कार के नकद घटक" के लिए 1.00 लाख प्रत्येक केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता 'अर्थात् श्रेणी (i) के मामले में, पदक या शील्ड जैसा भी मामला हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और "श्रेणी (I) के मामले में उप-श्रेणी (1) के लिए नकद घटक रु. 02.00 लाख और उप-श्रेणी (2,3,4,5 और 6) के लिए नकद घटक रु. 01.00 लाख प्रत्येक, परन्तु श्रेणी (II) के लिए केवल शील्ड और प्रमाण पत्र।

किशोर बी. सुरवाड़े, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT**(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 28th November, 2022

F. No. 5-31/2022- DD-VII-(National Award).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) No. 5-2/2020-National Awards dated 14th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary Section 1 of Part I dated 19th July, 2022 in the English version of Guidelines for the National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities, 2021 in column 4 at Sr. No. 9 of para 2.1(II) for “cash component of Award of Rs. 1.00 lakh each only in the case of individual Excellence’ i.e category (i) above. Medal or Shield as the case may” shall be substituted and read as “In the case of category (I) the cash component for sub-category (1) will be Rs. 02.00 Lakh, and for sub-category (2, 3, 4, 5 & 6) cash component will be Rs. 01.00 Lakh each but for category (II) only Shield and Certificate”.

KISHOR B. SURWADE, Dy. Dir. General